...ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ा–पत्र संख्या :–178 / 2021 दायर दिनांक: 29.10.2021

...MS NO:- 2021/319 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. चतरू आ0 जन्सी जाति मीना नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ। (मृतक)
   1 / 1. कालूलाल आ0 चतरू जाति मीना नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ।
   1 / 2. धोलू आ0 चतरू जाति मीना नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ।
   1 / 3. मुकेश आ0 चतरू जाति मीना नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 27.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज प.म. बालापुरा मे खसरा नम्बर 143 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 11 / 36 है। उक्त भूमि पर आने जाने, कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 161 / 1 व 162 / 1 रास्ते की भूमि मे होकर आगे खसरा नम्बर 163 / 553 सिवायचक भूमि मे होकर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 143 पर पहुंचता है। यह रास्ता करीब 15 फीट चौडा है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी वर्षो से इसी रास्ते मे होकर आता जाता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी व उसके सहखातेदार के पास अन्य कोई रास्ता नही है। यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 162 / 1 के पश्चिम कोने से खसरा नम्बर 163 / 553 सिवायचक भूमि के दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 15 फूट चौडे रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर आसानी से आ जा सके। प्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क, नकल जमाबंदी, आदि पेश किये जाकर प्रार्थी के सहखातेदारी खेत खसरा नम्बर 143 मे जाने के लिए परिशिष्ट क मे लाल रंग से दर्शाये गए स्थान खसरा नम्बर 163 / 553 मे होकर 15 फुट चौडा रास्ता दिये जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे रास्ता कायम करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 11.3.2022 से प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अन्य प्रतिवादीगण रामनिवास, गन्दोडी व मीठालाल निवासीगण रघुनाथगंज की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा वकालातनामा पेश किया जाकर उनके प्रार्थीगण को प्रकरण मे पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया था जिसमे उनके द्वारा खसरा नम्बर 163 / 553 जिस मे से होकर प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है, पर उनका कब्जा काश्त होने से उनको पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया था लेकिन अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नम्बर 163 / 553 तो सरकारी सिवायचक भूमि है अतः राजकीय सिवायचक भूमि मे अन्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ना होकर सरकारी भूमि होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है।

एकपक्षीय बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के सहखातेदारी खेत खसरा नम्बर 143 मे जाने के लिए परिशिष्ट क मे लाल रंग से दर्शाये गए स्थान खसरा नम्बर 163 / 553 मे होकर 15 फुट चौडा रास्ता दिया जावे तथा तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सुना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम रघुनाथगंज स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 143 मे पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 163/553 रकबा 1.0274 मे से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के ग्राम रघुनाथगंज स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 143 मे पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 163/553 रकबा 1.0274 मे से रास्ता निम्नानुसार दिये जाने के आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस जिसमे लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगाः–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
163/553	सिवायचक (सरकारी)	बा0 3	30 गट्ठा	x 2 गट्ठा	60 वर्गगट्ठा
					अर्थात 0.0243 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 60 वर्गगट्ठा या 0.0243 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थी का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ